B-3

L-13

Economy

⇒ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर
Direct & Indirect Taxes

⇓

प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार (burden) को अन्य लोगों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

ऐसे कर लोगों की आय, उनकी सम्पत्ति, या उनके द्वारा किये जाने वाले सम्पत्तियों के लेन देन पर मुख्य रूप से लगाये जाते हैं।

प्रत्यक्ष करों के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं-

1- आय कर (Income tax) → केन्द्र सरकार द्वारा लोगों की गैर-कृषिगत आय पर लगाया जाता है। इसे PIT (Personal Income tax) भी कहते हैं।

2- निगम कर (Corporation tax) → केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है। इसे CIT (Corporate Income Tax) भी कहते हैं।

3- पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) - केन्द्र सरकार द्वारा इसे आरोपित किया जाता है। सम्पत्तियों (जैसे कि मुकान, शेयर बॉण्ड) के विक्रय से होने वाले लाभों (Gains) पर इसे लगाया जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

4- भू-राजस्व (Land Revenue) → राज्य सरकारों द्वारा कृषि जोतों पर एकमुश्त (Lump-Sum) ढंग से लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है

5- व्यावसायिक कर (Professional tax) - राज्य सरकारों द्वारा Professionals जैसे डॉक्टर, वकील, CA आदि पर एकमुश्त ढंग से लगाया जाता है।

6- भूमि एवं भवन कर (Land & Building tax या House Tax या Property Tax) - स्थानीय शासन की संस्थाओं जैसे कि नगर निगम आदि द्वारा इसे आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों पर एकमुश्त (Lump-sum) ढंग से लगाया जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर (Tax) होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर हस्तांतरित किया जा सकता है।

यह कर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या उनके लेन-देन पर लगाये जाते हैं।

GST अप्रत्यक्ष कर का एक बड़ा उदाहरण है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में से प्रत्यक्ष करों को तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील (Progressive) बनाया जा सकता है। अर्थात् उन्हें इस प्रकार से आरोपित किया जा सकता है कि कम

आय वाले लोग कर की कम दर तथा अधिक आय वाले लोग कर की ऊँची दर का भुगतान करें।

उपर्युक्त के विपरीत, अप्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वह स्वभाव से ही प्रतिगामी (Regressive) होते हैं तथा कम आय वाले लोगों पर अधिक आय वाले लोगों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक भार डालते हैं।

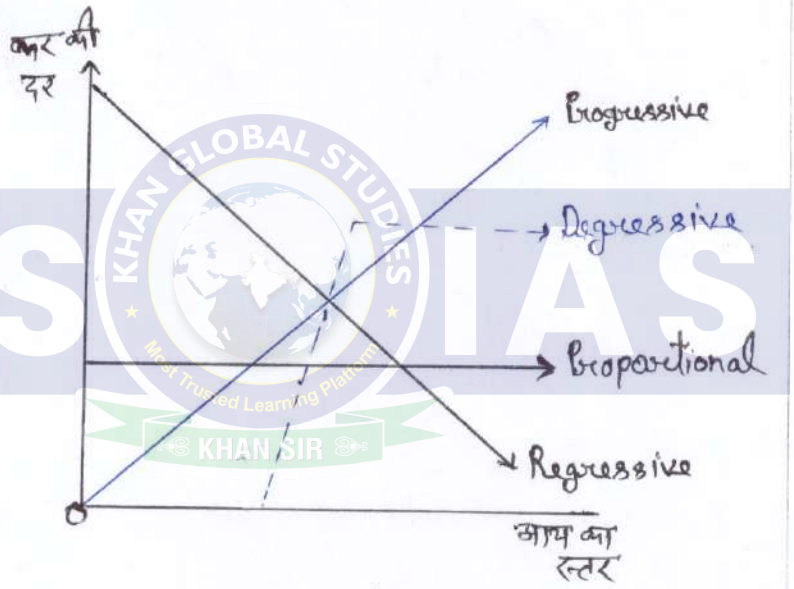

उपर्युक्त के बावजूद अप्रत्यक्ष करों को पूर्वरूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। इन्हें Sin goods, Demerit goods और Luxury goods पर लगाया जा सकता है।

Sin goods ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका व्यक्तिगत उपभोग या उत्पादन सामाजिक दृष्टि से अनुचित या अनैतिक माना जाता है जैसे कि नशीले पदार्थ आदि।

Demerit goods ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका व्यक्तिगत उपभोग या उत्पादन अन्य लोगों पर नकारात्मक प्रभाव (Negative externality) डालता है जैसे कि डीजल कोयला आदि।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR